कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा /माध्य./माध्यमिक/मा–द/ सी.एस.एस./एनएसआईजी/एफडीआर/2017–18/ दिनांक

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम/द्वितीय

विषयः– माध्यमिक शिक्षा की बालिकाओं के लिये प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना (NSIGSE) सत्र 2017–18 के प्रस्तावों की तैयारी के संबंध में।

विषयान्तर्गत लेख है माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत बालिकाओं के लिये प्रोत्साहन की इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योजना (National Scheme of Incentive to Girls for Secondary Education) के तहत सत्र **2017–18** के प्रस्तावों को अब National scholarship portal किया जाना है। ऑनलाईन फीडिंग विद्यालय स्तर पर की जानी है। इस हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ऑनलाईन फीडिंग की **अंतिम तिथि 30.09.17** निर्धारित की गई है। https://scholarships.gov.in/ लिंक पर प्रत्येक बालिका का आवेदन संस्था प्रधान द्वारा किया जाना है।

सुलभ सन्दर्भ के लिए इस योजना का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है।

1. योजना की समस्त शर्तें पूर्व की भांति निम्नानुसार है

योजना में सम्मिलित की जाने वाली बालिकाओं की श्रेणियां इस प्रकार से है ।

क. राजकीय विद्यालय में कक्षा–8 उत्तीर्ण कर कक्षा–9 में अध्ययनरत छात्राएँ
- अनुसूचित जाति
- अनुसूचित जनजाति

ख. कस्तूरबा गाँधी बालिका अवासीय विद्यालय में कक्षा–8 उत्तीर्ण कर कक्षा–9 में अध्ययनरत सभी छात्राएं यथा–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य जाति सहित सभी बालिकाएँ।

2. बालिका द्वारा सत्र 2016–17 में कक्षा–8 उर्तीण की हो।
3. बालिका सत्र 2017–18 में राजकीय विद्यालय की कक्षा–9 में अध्ययनरत हो।
4. बालिका की आयु दिनांक 31.03.17 को 16 वर्ष से कम हो।
5. बालिका के अभिभावक की आय से कोई संबंध नहीं है।
6. यह छात्रवृत्ति अन्य छात्रवृत्तियों के साथ देय है।

देय सुविधा –

1. प्रत्येक बालिका को 3,000/– रूपये (अखरे रूपये तीन हजार मात्र) की एफ.डी.आर. देय है। इसका भुगतान पात्रता की शर्ते अर्थात 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने है एवं 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर उसके खाते पर ब्याज सहित भुगतान किया जाता है।

ऑनलाईन फीडिंग हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम–

1	संस्था प्रधान द्वारा नेशनल स्कोलरशिप पोर्टल पर आवेदन प्रविष्ट करने की अन्तिम तिथि	30.09.17
2.	विद्यालय व जिला स्तर पर आवेदन को वेरिफाई करने की अन्तिम तिथि।	15.10.17

ऑनलाईन फीडिंग हेतु दिशा निर्देश

1. ऑनलाईन फीडिंग हेतु जिला शिक्षा अधिकारी,माध्यमिक नोडल होंगे। जिन जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम व द्वितीय दोनो हैं, उन जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक –प्रथम नोडल अधिकारी रहेंगे।
2. ऑनलाईन फीडिंग की मोनिटरिंग व वेरिफिकेशन हेतु समस्त नोडल के मोबाईल पर लॉगिन आई.डी और पासवर्ड पोर्टल द्वारा प्रेषित कर दिए गए हैं। **समस्त नोडल द्वारा यथाशीघ्र डिस्ट्रीक्ट लोगिन करने के पश्चात् अपने अधीन सभी विद्यालयों को यूजर नेम व पासवर्ड जारी करने है ताकि संस्था प्रधान अपने विद्यालय के आवेदनों को वेरिफाई कर सके।**
3. ऑनलाईन फीडिंग के उपरांत समस्त जिशिअ निम्नांकित प्रारूप में समेकित सूचना **ad.secondary.dse@rajasthan.gov.in** / **secondarydd@gmail.com** पर उपलब्ध करवाएंगे तथा इस आशय का लिखित प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध करवाएंगे कि **"मेरे क्षेत्राधीन विद्यालयों मे इस योजना से संबंधित कोई भी पात्र बालिका शेष नहीं है। सभी के प्रस्ताव पोर्टल पर दर्ज कर दिए गए है।"**

www.rajteachers.com

सामान्य विद्यालयों से			कस्तूरदा [illegible] आठवीं उत्तीर्ण करने वाली					सर्वयोग
एस.सी	एस.टी.	कुल योग	एस.सी	एस.टी.	ओ.बी.सी	सामान्य	कुल योग	

4. विद्यालय द्वारा ऑनलाईन फीडिंग सम्बन्धी निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न है।

<u>अन्य दिशा निर्देश–</u>

1. यह सुनिश्चित करें कि समस्त पात्र बालिकाओं कें आधार नम्बर की सीडिंग बैंक खातो में करवा दी गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में दिनांक 17.08.16 को हुई कार्यशाला में प्राप्त निर्देशानुसार बिना सीडेड हुए बैंक खातों में भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।
2. आप अपने अधीनस्थ विद्यालयों से इस आशय का प्रमाण–पत्र आवश्यक रूप से ले कि **"विद्यालय में अध्ययनरत समस्त पात्र बालिकाओं के प्रस्ताव पोर्टल पर दर्ज कर दिए गए है तथा कोई भी पात्र बालिका शेष नहीं है। उक्त प्रपत्र में दी जा रही समस्त सूचनाएं सही है और पात्र बालिकाओं के खातों की आधार सीडिंग करवा ली गई है। कोई भी पात्र बालिका शेष नहीं है।**

ध्यान रहे कि पोर्टल मे समस्त कार्य त्वरित गति निर्धारित समय सीमा में किया जाना है। यह बालिका के नामांकन और ठहराव को सुनिश्चित करने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना की महता को ध्यान में रखते हुए आप स्वयं प्रभावी प्रवोधन कर उक्त समस्त कार्य को समय पर पूर्ण करवाएं।

सलंग्न – उपरोक्तानुसार

उपनिदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :–

1. निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (एस.एस.अनुभाग) शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110115
2. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान
4. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयो को समय पर सूचना भेजने के लिये पाबन्द करे।
5. उपनिदेशक (योजना) कार्यालय हाजा।
6. प्रभारी DBT, कार्यालय हाजा को उनके पत्रांक शिविरा/मा/छाप्रोप्र/अ/DBT/स्कीम/2015.16 दिनांक 12.06.15 के क्रम में
7. प्रभारी, कम्पयूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु

उपनिदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com